

प्रेषक,

आर०ए० सिंह
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/निदेशक,
यू०पी०आई०डी०, लखनऊ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 06 मई, 2016

विषय- उ०प्र० इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (यू०पी०आई०डी०) लखनऊ को क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्था के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृत की प्रथम किश्त ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-60/कैम्प/4-वित्त/नई मांग-आयोजनागत/2016-17 दिनांक 18-12-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा दिये जाने हेतु क्राफ्ट डिजाइन व तकनीकी सुविधाओं एवं सहायता उपलब्ध कराने तथा हस्तशिल्पियों के समग्र विकास हेतु प्रशिक्षित एवं दक्ष हस्तशिल्पियों को तैयार करने हेतु किसी स्तरीय संस्थान के न होने के दृष्टिगत उ०प्र० इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (यूपीआईडी) को स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹0 200.00 लाख (₹0 दो करोड़) में से प्रथम किश्त के रूप में ₹0 100.00 लाख (₹0 एक करोड़) मात्र की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मर्दों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

5- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी०एल०ए०/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

6- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्ड्स ऑफ फाईन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

9-प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ०प्र० इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ०प्र० शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

11- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक की अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-104-हस्तशिल्प उद्योग-03-क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

12-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर०ए० सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-21/2016/859 (1)/18-4-2016, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-1)/सी०ए०एस०एस०-3/टी०डी०ए० कोआर्डिनेशन, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
- 5-निदेशक, उ०प्र० इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन (यूपीआईडी) उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
- 7- उपायुक्त, उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ।
- 8- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, सूक्ष्म, लघु एवं उद्यम अनुभाग-3 /नियोजन अनुभाग-4
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०ए० सिंह)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।